

सिटी कम्पोस्ट के उन्नयन एवं इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार—विमर्श हेतु कृपि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.03.2017 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति :

सर्वश्री—

- 1— रजनीश गुप्ता, प्रगुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3— डा० अल्का टण्डन भट्टनागर, विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंरकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4— आर.के. सिंह, विशेष सचिव /स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5— उमा शंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी, नगर विकारा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6— आर.एन. गोयल, मुख्य महाप्रबन्धक, सीएणडीएरा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7— ज्ञान सिंह, निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8— डा० राणा प्रताप सिंह, अपर निदेशक, उद्यान निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9— ए.के. गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 10— जी.एस. बरनवाल, इण्डो गल्फ फर्टीलाइंजर।
- 11— के.के. शर्मा, कोमेन्डल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड।
- 12— ए.के. सिंघल, टाटा केमेकल्स लिमिटेड।
- 13— ए.के. श्रीवास्तव, सीएफसीएल।
- 14— डा० वी.के. तोमर, वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक, KRIBHCO, उत्तर प्रदेश।
- 15— ऋषिपालसिंह, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर, IFFCO, उत्तर प्रदेश।
- 16— एम.एस.सिंह, प्रबन्धक, KRIBHCO, उत्तर प्रदेश।
- 17— वाई. कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, IFFCO, उत्तर प्रदेश।
- 18— वी.के. दुबे, सहायक प्रबन्धक (मार्केटिंग), एनएफएल।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार सर्वप्रथम सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश में सॉलिड वेस्ट गैनेजमेन्ट के अन्तर्गत उत्पादित हो रहे सिटी कम्पोस्ट के संबंध में अवगत कराया गया। अवगत कराया गया कि वर्तमान में इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, बाराबंकी, रायबरेली, मुजफ्फरनगर तथा वाराणसी की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट कियाशील/आंशिक कियाशील हैं, जिनसे लगभग 316 मीट्रिक टन कम्पोस्ट का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लगभग 15500 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। उक्त निकायों में उत्पादित हो रहे शिटी कम्पोस्ट का विवरण निम्नवत् बताया गया—

SWM Plant at	Total Waste Processed (TPD)	Compost Generated (TPD)
Allahabad	600	90.00
Lucknow	900	100.50
Aligarh	225	33.50
Etawah	75	11.25
Kannauj	25	03.75
Mainpuri	30	04.50
Barabanki	30	04.50
Raebareilly	70	10.50
Murzaaffarnagar	120	18.00
Varanasi	275	40.00
Total	2350	316.00

यह भी अवगत कराया गया कि कानपुर, फतेहपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली तथा मथुरा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, जो पूर्व में कियाशील थे तथा किन्हीं कारणोंवश इनके संचालन में अवरोध उत्पन्न हुआ था, को कियाशील करने हेतु गंभीर प्रयास किये गये हैं, के द्वारा भी यथाइच लगभग 500एमटी कम्पोस्ट का उत्पादन प्रतिदिन होने लगेगा।

25


2— बैठक में अवगत कराया गया कि सिटी कम्पोस्ट के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। उर्वरक उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा किसानों को इस कम्पोस्ट के सीधे विक्रय हेतु भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या—11026/44/2016—एमएपडब्ल्यू, दिनांक 28.09.2016 तथा 09.01.2017 द्वारा विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत रूपए 1500 प्रति टन की दर से मार्केट डेवलपमेन्ट असिस्टेन्स की दिया जा रहा है तथा सिटी कम्पोस्ट को क्रय किया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार स्थानीय नागर निकाय भी कम्पोस्ट की मार्किंग सीधे किसानों को शोक में कर सकते हैं तथा रूपए 1500 प्रतिटन वी दर से मार्केट डेवलपमेन्ट असिस्टेन्स का दावा कर सकते हैं।

3— बैठक में विभिन्न उर्वरक कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सिटी कम्पोस्ट का क्रय—विक्रय किया जा रहा है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु किसानों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।

4— प्रकरण में हुए विस्तृत विचार—विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्देश दिये गये—

- (1) सिटी कम्पोस्ट के उन्नयन के संदर्भ में किसानों में जागरूकता लाने हेतु गोष्ठियां आयोजित की जाय। गोष्ठियों में कम्पोस्ट की सैम्प्ल भी रखी जाय तथा उसके उपयोग के संबंध में किसानों को अवगत कराया जाय। यह भी अवगत कराया जाय कि कम्पोस्ट किसान प्रकार रसायनिक उर्वरक से अच्छ है तथा इसका सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण है।
- (2) जिला उद्यान अधिकारियों को शासनादेश निर्गत कर सिटी कम्पोस्ट के उन्नयन के रांगमें दिशा—निर्देश दिया जाय।
- (3) उर्वरक कम्पनियों द्वारा नियमित रूप से गोष्ठियों/किसान मेलों आदि का आयोजन कर उन्हें जागरूक किया जाय।
- (4) उर्वरक कम्पनियां उत्पादित कम्पोस्ट के शत—प्रतिशत क्रय को सुनिश्चित करें। जिरारं इसका उन्नयन हो सके।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार—विमर्श तथा रांगतुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।



29/3/2017
(श्री प्रियकार सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग—5
संख्या—838/नौ—5—2017—64सा/2016
लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2017

प्रतिलिपि समर्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आज्ञा रो,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी